भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4807

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया

4807. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देशभर में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए अधिवास कोटा समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है:
(ख) क्या देशभर में विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पीजी मेडिकल सीटों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं /प्रस्तावित हैं;
(ग) क्या सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों की कमी का सामना कर रहे राज्यों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता पर अधिवास-आधारित कोटे के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार पीजी पाठ्यक्रमों में वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों का अधिवास ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने उन भारतीय छात्रों के लिए इंटर्नशिप और पीजी प्रवेश के लिए कोई नीति बनाई है, जो विभिन्न विदेशी कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कोविड वैश्विक महामारी के दौरान उन्हें वापस लौटकर सत्र के बीच में ही भारत में प्रवेश लेना पड़ा; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) एक आवंटन प्राधिकरण है जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार

स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए काउंसिलिंग में, केंद्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की 100% सीटों में से अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) की 50% सीटें शामिल हैं। मेडिकल कॉलेजों में शेष 50% पीजी सीटों (राज्य कोटा) के लिए काउंसिलिंग राज्य में लागू दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य काउंसिलिंग प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

देश में पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2013-14 में 31,185 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 74,306 हो गई है। केंद्र सरकार ने पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए "मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना" के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 1072 पीजी सीटें बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने 28.07.2022, 09.05.23 और 07.12.2023 को अपने सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से विदेशी मेडिकल स्नातकों के संबंध में स्पष्टीकरण और निर्णय जारी किए, जिसमें ऐसे स्नातकों के लिए नैदानिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया है।

****